

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2024



अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना.....	3
2. नीति का अवलोकन.....	3
2.1 नीति का शीर्षक एवं संचालन अवधि.....	3
2.2 नीति का कार्यक्षेत्र.....	3
2.3 दृष्टि और उद्देश्य.....	3
3. लक्ष्य.....	4
4. आसान व्यापार प्रक्रिया में सुधार.....	4
5. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया पारिस्थितिकी तंत्र का विकास.....	4
6. अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और नवाचार.....	5
7.यूपीनेडा नोडल एजेन्सी	5
8. वित्तीय प्रोत्साहन	5—13
9. भूमि की उपलब्धता एवं प्रोत्साहन	13
10. जल की उपलब्धता	14
11. संचालन सम्बन्धी प्रोत्साहन	14
12. भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन.....	15
13. वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण व्यवस्था	15
14. प्राधिकृत समिति एवं दायित्व	16
15. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं दायित्व	17
16. जिला स्तरीय समिति एवं दायित्व	17
17. नीति में संशोधन एवं रोजगार सृजन	17
परिभाषाएँ.....	18

1. प्रस्तावना—

उ0प्र0 सरकार ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उपयोग कर उत्पादित की जा रही ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत अधिक है, अतः ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को गति प्रदान करने हेतु प्रारम्भिक अवस्था में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किया जाना आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा घोषित 'नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2022' एवं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023, आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई "उ0प्र0 ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024" के द्वारा राज्य में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन, बाजार निर्माण और मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के द्वारा राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा की पूर्णता हेतु एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हो सकेगा।

2. नीति का अवलोकन—

2.1. नीति का शीर्षक एवं परिचालन अवधि —

यह नीति 'उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024' (इसके बाद 'नीति') के नाम से जानी जाएगी। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से पांच वर्षों तक या जब तक राज्य सरकार इस नीति में संशोधन नहीं करती या नई नीति को अधिसूचित नहीं करती है, वैध और परिचालन में रहेगी।

2.2. नीति का कार्यक्षेत्र—

यह नीति ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया इकाइयों की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला में उत्पादन, खपत, बाजार निर्माण और अन्य तत्वों का सृजन करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन का नाइट्रोजनस उर्वरक, रसायन, रिफाइनरी, भारी वाहन, ऊर्जा भंडारण, लोहा और इस्पात, सिटी गैस वितरण (सीजीडी) और ग्लास निर्माण इत्यादि क्षेत्रों में उपभोग की अपार संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रारम्भिक तौर पर नाइट्रोजनस उर्वरक और रिफाइनरी उद्योगों में उपयोगार्थ हाइड्रोजन पर बल दिया जायेगा। नीति में भारत सरकार की नीतियों और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप अन्य उभरते उद्योगों में ग्रीनहाइड्रोजन के अनुप्रयोगों को तदनुसार शामिल किया जाएगा।

2.3. दृष्टि और उद्देश्य—

1. भारत सरकार के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी नीतियों को लागू करना एवं तदनुसार सहयोग प्रदान करना।
2. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन सुविधाओं और ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उत्पाद निर्माण इकाइयों में निवेश को स्थापित करने और बढ़ावा देने के लिए व्यापार प्रक्रिया को आसान बनाना एवं राजकोषीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया बाजार निर्माण को बढ़ावा देना।
3. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन और खपत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना जिससे कि प्रतिस्पर्धात्मक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया की लागत को कम किया जा सके।

4. नई निर्माण इकाइयों और हाइड्रोजन केन्द्रों के स्वरूप को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया मूल्य श्रृंखला में पाइपलाइन नेटवर्क, नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाना।
5. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उद्योगों हेतु कार्यबल का विकास करना और कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना।
6. पॉलिसी अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन लागत को कम करना एवं पुनः दीर्घावधि में लागत घटाकर न्यूनतम तक करने का प्रयास किया जाना।

3. लक्ष्य—

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया का 01(एक) मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता लक्षित है। नीति में लक्ष्य प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पना की गई है :-

- i. प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप हाइड्रोजन खपत करने वाले क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया के उपभोग को बढ़ावा देना।
- ii. अनुसंधान, विकास और तकनीकी नवाचार गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए चार उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करना।
- iii. प्रदेश में हाइड्रोजन की वर्तमान माँग लगभग 0.9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है, जिसका मुख्य रूप से उर्वरक एवं रिफाइनरी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। प्रदेश अपनी घरेलू माँग की पूर्ति हेतु ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन को बढ़ावा देगा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा।

4. आसान व्यापार प्रक्रिया में सुधार—

उ0प्र0 सरकार ने राज्य में निवेश और व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए पहल की है। इन पहलों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने से लेकर व्यापार करने में आसानी के लिए विनियामक सुधार शामिल हैं। प्रदेश की अन्य नीतियों में प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के साथ किसी अतिछादी (ओवरलैप) की दशा में, इस नीति में प्रदान किए गए प्रोत्साहन प्राविधान लागू होंगे। उ0प्र0 सरकार द्वारा मौजूदा और नए ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा :-

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे नई ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया परियोजनाओं और मौजूदा इकाइयों के निर्बाध विस्तार को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
2. प्रदेश सरकार भूमि बैंक और जल की उपलब्धता हेतु आँकड़ें तैयार करेगी और संभावित निवेशकों को आवश्यकतानुसार भूमि, जल एवं विद्युत पारेषण तंत्र उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान करेगी।

5. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया पारिस्थितिकी तंत्र का विकास—

ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जायेगा। इस नीति के अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन खपत वाले क्षेत्रों में हाइड्रोजन सम्मिश्रण (व्लेडिंग) के साथ-साथ राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया हेतु औद्योगिक क्लस्टर/केन्द्र/घाटियों का विकास करने सहित अनिवार्य रूप से खपत केंद्रों के आसपास ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

नीति में बायोगैस एवं अन्य उद्योगों से उत्सर्जित कार्बन को उपयोगार्थ बनाने हेतु कार्बन डाईआक्साइड रिकवरी (सीडीआर) यूनिट्स को प्रोत्साहित किया जायेगा। इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के साथ-साथ उत्पादन से उपभोग केंद्रों तक राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) का ऑकलन कर ग्रीन

हाइड्रोजन/अमोनिया और उनके सह-उत्पादों (डेरिवेटिव) के भंडारण एवं परिवहन आदि के प्रौद्योगिकी विकास और क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान किया जायेगा। नीति के अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादन इकाइयों के विकास के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति और बिजली संचरण बुनियादी ढांचे का विस्तार करने एवं माँग एकत्रीकरण तथा नियामक इत्यादि सहायता प्रदान की जायेगी।

6. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) एवं नवाचार—

- i. ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लागत अधिक होना इसको अपनाने में प्रमुख बाधा है। समय के साथ लागत कम करने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नए उभरते ग्रीन हाइड्रोजन अनुप्रयोगों, इलेक्ट्रोलाइजर के स्वदेशी निर्माण, प्रणाली की दक्षता, परिवहन, भंडारण आदि प्रक्रियाओं में मौजूद चुनौतियों का निवारण किया जाना अपेक्षित हैं।
- ii. ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके उत्पादों की उत्पादन लागत घटाने एवं नवीनतम तकनीकी विकास हेतु 02 (दो) उत्कृष्टता केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना की जायेगी। उक्त उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा की जानी अपेक्षित होगी।
- iii. उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु शासकीय शैक्षणिक संस्थानों को 100 प्रतिशत एक मुश्त वित्तीय प्रोत्साहन, अधिकतम रु. 50 करोड़ उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय प्रोत्साहन की सीमा तक किसी अन्य स्रोत से दोहरा वित्त पोषण नहीं होना चाहिये।
- iv. उत्कृष्टता केन्द्रों में अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रमुख क्षेत्रों यथा—इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण, टाइप-4 स्टोरेज टैंक, ग्रीन हाइड्रोजन हेतु परीक्षण प्रयोगशाला, ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन, हाइड्रोजन उत्पादन हेतु फ्यूल सेल इलेक्ट्रोलाइजर का विकास, सोलर थर्मल के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन एवं उत्पादन लागत घटाने हेतु अन्य तकनीकियों का विकास आदि सम्मिलित होगा।
- v. उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया के उत्पादन/प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अनुमन्य होगा।
- vi. प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन रु0 25 लाख प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिया जायेगा। वही स्टार्टअप्स वित्तीय प्रोत्साहन के लिए अनुमन्य होंगे जो किसी शैक्षणिक संस्थानों के अधीन इन्क्यूबेटर्स से आवद्ध होंगे।
- vii. नीति अवधि में अधिकतम तीन इन्क्यूबेटर्स को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रत्येक इन्क्यूबेटर में अधिकतम 10 स्टार्टअप्स अनुमन्य होंगे।
- viii. इन्क्यूबेटर्स को कैपिसिटी बिल्डिंग, हैकेथन, इवेंट्स एवं प्रशासनिक व्ययों इत्यादि कार्यकलापों हेतु स्टार्टअप्स को अनुमन्य प्रोत्साहन का 20 प्रतिशत अंश इन्क्यूबेटर्स को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

7. यूपीनेडा नोडल एजेन्सी—

उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी होगी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परियोजना विकासकर्ताओं की सुगमता एवं सहायता का कार्य नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

8. वित्तीय प्रोत्साहन—

नीति प्रख्यापित होने के उपरान्त स्थापित परियोजनाओं पर राज्य में अधिकतम निवेश आकर्षित करने तथा उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने हेतु इस नीति के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, रियायतें एवं उपादान प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन नोडल एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

8.1. पात्रता एवं परिभाषाएं—

8.1.1. प्रभावी तिथि का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से यह नीति प्रभावी होगी ।

8.1.2. प्रभावी अवधि का अभिप्राय उस अवधि से है, जो प्रभावी तिथि से प्रारंभ होकर उस अवधि (05 वर्ष) तक, जिसके लिए यह नीति लागू रहेगी अथवा जब तक राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता है ।

8.1.3. पात्र औद्योगिक उपक्रम का अभिप्राय किसी कंपनी, साझेदारी फर्म के रूप में गठित इकाई के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम, एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी समिति के स्वामित्व वाली संस्था से है, जो विनिर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, कॉण्ट्रैक्ट मैन्यूफैक्चरिंग अथवा आर्टिकल्स के जॉबवर्क के कार्य में संलग्न हों तथा नवीन अथवा विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण परियोजना के रूप में स्थापित हों ।

8.1.4. विस्तारीकरण का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करता है ।

8.1.5. विविधीकरण का अभिप्राय एक ऐसे वर्तमान औद्योगिक उपक्रम से है, जो वर्तमान उत्पाद से पूर्णरूपेण पृथक उत्पाद का विनिर्माण करता है। इसके अतिरिक्त विविधीकरण के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होने के लिए, औद्योगिक उपक्रम को अपने सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी अथवा नए पूंजी निवेश के माध्यम से इस नीति में पारिभाषित मेगा अथवा उस से उच्च श्रेणी की परियोजना के रूप में अर्हता प्राप्त करनी होगी। उक्त दोनों स्थितियों (सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि अथवा मेगा या उससे उच्च श्रेणी में अर्हता प्राप्त करना) में से जो भी कम होगा, वह मान्य होगा।

8.1.6. **पूंजी निवेश** हेतु औद्योगिक उपक्रम द्वारा वहन की जाने वाली निम्नलिखित लागत पर विचार किया जाएगा:—

- i. **भूमि** — भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य को परियोजना के लिए भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्ज को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा आवंटित की जाती है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्ज को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा।
- ii. **भवन**—भवन का अभिप्राय ऐसे नवीन भवन से है, जो परियोजना हेतु निर्मित किया गया हो। इसमें प्रशासनिक भवन भी सम्मिलित होगा ।

संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना, इन-हाउस परीक्षण सुविधाओं, भंडारण सुविधाओं एवं विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य भवनों तथा श्रमिकों के लिए छात्रावास/डॉरमेट्री से संबंधित भवन, कार्यालय स्थान एवं प्रशासनिक परिसर की स्थापना के लिए निर्मित नवीन भवनों की लागत पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार विचारित किया जाएगा ।

नोट :- पूंजी निवेश की गणना के उद्देश्य से कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 30 प्रतिशत (जिसमें इस नीति में पारिभाषित भूमि का वास्तविक मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, संयंत्र व मशीनरी तथा अवस्थापना सुविधाएं सम्मिलित हैं) को कुल भूमि तथा भवन घटक के रूप में विचारित किया जाएगा ।

iii. **अन्य निर्माण**— अन्य निर्माण का अभिप्राय परिसर की दीवार एवं गेट, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोरवेल, वॉटर टैंक, जल एवं गैस के लिए आंतरिक पाइप लाइन नेटवर्क तथा अन्य संबंधित निर्माण से है ।

IV. **संयंत्र एवं मशीनरी**— संयंत्र एवं मशीनरी का अभिप्राय नवीन स्वदेशी/आयातित संयंत्र व मशीनरी, सुविधाओं, डाई, मोल्ड्स, जिम्स एवं फिक्सचर्स तथा समान प्रकार के उत्पादन से संबंधित उपकरण से है, जिनका स्वामित्व व उपयोग संयंत्र के भीतर हो । इसमें परिवहन की लागत, नींव, निर्माण, स्थापना तथा विद्युतीकरण की लागत सम्मिलित होगी। विद्युतीकरण की लागत में विद्युत उपकेंद्र एवं ट्रांसफार्मर की लागत सम्मिलित होगी। ऐसे अन्य टूल्स एवं उपकरण, जो उत्पाद/उत्पादों के निर्माण के लिए सहायक हैं, को भी सम्मिलित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण एवं परिवहन से सम्बन्धित समस्त संयंत्रों पर वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जायेगा।

संयंत्र एवं मशीनरी में गैर-पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयंत्र अनुसंधान एवं विकास, केवल औद्योगिक इकाई के परिसर के भीतर परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन तथा ऐसे परिसर के अन्दर माल के परिवहन में विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सामग्री हैंडलिंग उपकरण, औद्योगिक उपक्रम के लिये राज्य के अंदर स्थापित कैप्टिव विद्युत उत्पादन/सह-उत्पादन संयंत्र, जिसके विद्युत उत्पादन का न्यूनतम 75 प्रतिशत का उपयोग भी औद्योगिक उपक्रम में किया जाए, जल-उपचार संयंत्र, अपशिष्ट/उत्सर्जन अथवा ठोस/गैसीय खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण, उपचार, निस्तारण की सुविधा सहित प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र तथा डीजल जेनरेटर सेट एवं बॉयलर भी सम्मिलित होंगे ।

v. **अवस्थापना सुविधाएं** — अवस्थापना सुविधाओं का अभिप्राय ऐसी नई सड़कों, सीवर लाइनों, जल — निकासी, विद्युत लाइनों, रेलवे साइडिंग अवस्थापना अर्थात् इकाई के संचालन के लिए आवश्यक ऐसी अन्य सुविधाओं से है, जो उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापना ट्रंक लाइनों से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट), उत्प्रेषण उपचार संयंत्र (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) को भी सम्मिलित किया जाएगा।

8.1.7. **अपात्र पूंजी निवेश**— कार्यशील पूंजी, सदभावना (Goodwill), प्रारंभिक एवं पूर्व-संचालन व्यय पूंजीकृत ब्याज, प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के अधिग्रहण के लिए लेखा-पुस्तकों में अंकित पूंजीकृत व्यय परामर्श शुल्क, रॉयल्टी, डिजाइन एवं ड्राइंग्स पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, अमूर्त परिसंपत्ति (Intangible Assets) तथा विद्युत उत्पादन (कैप्टिव उपयोग को छोड़कर, जैसा कि इस नीति में पारिभाषित पूंजी निवेश के संयंत्र और मशीनरी मद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है) को अपात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। पूंजी निवेश की गणना के लिए ऐसे मदों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

8.1.8. **कट-ऑफ तिथिका अभिप्राय :-**

- i. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात प्रारम्भ होता है, तो निवेश प्रारम्भ होने की तिथि जो नीति की प्रभावी अवधि के भीतर हो, से है।
- ii. यदि निवेश, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ होता है, तो इस नीति की प्रभावी तिथि से है। यदि केवल भूमि नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व अर्जित की जाती है, तो औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश के अन्तर्गत पारिभाषित किसी अन्य मद (भूमि को छोड़कर) में नीति की प्रभावी तिथि को अथवा उसके पश्चात किये गये प्रथम निवेश की तिथि से है।

8.1.9. वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से औद्योगिक उपक्रम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करता है।

8.1.10. पात्र निवेश अवधि का अभिप्राय इस नीति की प्रभावी अवधि में वृहद् परियोजनाओं हेतु कट-ऑफ तिथि से प्रारंभ होने वाली 04 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, मेगा परियोजनाओं हेतु 05 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक जो भी पहले हो, सुपर मेगा परियोजनाओं हेतु 07 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं हेतु 09 वर्ष तक अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, से है।

तालिका-1 : पात्र निवेश अवधि	
श्रेणी	पात्र निवेश अवधि
वृहद्	4 वर्ष
मेगा	5 वर्ष
सुपर मेगा	7 वर्ष
अल्ट्रा मेगा	9 वर्ष

नोट :- इसमें ऐसे प्रकरण भी पूंजी निवेश के अंतर्गत सम्मिलित होंगे, जिनमें निवेश प्रारंभ करने की तिथि (सभी श्रेणियों के लिए) प्रभावी तिथि से गत 05 वर्षों के अंदर हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन, प्रभावी तिथि के बाद प्रारम्भ हो। शर्त यह होगी कि पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत, प्रभावी तिथि के पश्चात् किया गया हो।

पूंजी निवेश के भूमि घटक में प्रभावी तिथि से गत 05 वर्ष से पहले किया गया निवेश, पूंजी निवेश की गणना करने हेतु अनुमन्य होगा। भूमि में इस प्रकार के निवेश का मूल्य भूमि क्रय किए जाने के समय बुक-वैल्यू पर माना जाएगा (इसके पश्चात् भूमि का किया गया कोई भी पुनर्मूल्यांकन मान्य नहीं होगा)।

8.1.11. प्रोत्साहनों को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित 04 निवेश प्रतिबद्धता-आधारित परियोजना श्रेणियों को चिन्हित किया गया है (तालिका-2)। प्रत्येक परियोजना- श्रेणी की पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम पूंजी निवेश को संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित Threshold Investment कहा जाएगा।

तालिका. 2 पूंजी निवेश आधारित परियोजना-श्रेणियां	
श्रेणी	पात्र निवेश अवधि
वृहद्	₹50 करोड़ से अधिक किन्तु ₹200 करोड़ से कम
मेगा	₹200 करोड़ या उससे अधिक किन्तु ₹500 करोड़ से कम
सुपर मेगा	₹500 करोड़ या उसे अधिक किन्तु ₹3,000 करोड़ से कम
अल्ट्रा मेगा	₹3,000 करोड़ या उससे अधिक

नोट :- एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदेश की एमएसएमई नीति के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे।

8.1.12. **पात्र पूंजी निवेश- ईसीआई (Eligible Capital Investment: ECI)** का अभिप्राय ऐसे पूंजी निवेश से है, जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा इस नीति की प्रभावी तिथि के बाद पात्र निवेश अवधि में किया गया हो। यदि औद्योगिक उपक्रम द्वारा पूंजी निवेश, प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम 80 प्रतिशत, नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए तथा उसी पूंजी निवेश को ही पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा।

यद्यपि, निवेश की परियोजना श्रेणी (वृहद्/ मेगा/सुपर मेगा/अल्ट्रा मेगा) निर्धारण हेतु पात्र निवेश अवधि में किया गया पूंजी निवेश, जैसी कि गणना की गई है, पर विचार किया जाएगा।

यद्यपि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि के पश्चात किन्तु 4/5/7/9 वर्षों (श्रेणी के आधार पर) के अन्दर किए गए पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत से कम निवेश को भी पात्र पूंजी निवेश (ECI) माना जाएगा, किन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में परियोजना श्रेणी इस नीति में दी गई परिभाषा के अनुसार ही निर्धारित होगी ।

8.1.13. चरणबद्ध निवेश करने वाले औद्योगिक उपक्रम इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते ऐसे आवेदन, प्रथम चरण के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व प्राप्त हो जाएं। ऐसे प्रकरणों में, संबंधित प्रोत्साहन Threshold Investment को पूरा करने तथा संबंधित चरण, जिसमें Threshold Investment पूर्ण किया गया हो, के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के बाद ही संवितरित किए जाएंगे। चरणबद्ध अतिरिक्त (Additional) पात्र पूंजी निवेश पर इकाई प्रासंगिक वृद्धिशील प्रोत्साहन (Incremental Incentives) की पात्र होगी, यद्यपि पात्र निवेश अवधि नीति के अनुसार ही रहेगी ।

8.2. निवेश प्रोत्साहन उपादान—

निवेश प्रोत्साहन उपादान का लाभ उठाने के लिए निवेशकों को उपलब्ध 03 परस्पर पृथक विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का अवसर मात्र एक बार दिया जाएगा। निवेशक को परियोजना के प्रारंभ में आवेदन के समय ही उक्त अवसर का उपयोग करना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु वित्तीय प्रोत्साहन का लाभ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थिति (Location) के अनुरूप देय होगा।

यद्यपि, आवेदक द्वारा आवेदन के समय चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होगा। इस अतिरिक्त अवसर का उपयोग लेटर ऑफ—कम्फर्ट प्रदान करने हेतु 'उच्च स्तरीयप्राधिकृत समिति (HLEC) अथवा 'प्राधिकृत समिति (EC) के अनुमोदन से पूर्व, जैसी भी स्थिति हो, किया जा सकता है। इस प्रकार निवेशक के पास चयनित विकल्प को परिवर्तित करने का अग्रतर एक ही अवसर उपलब्ध होगा तथा इसके पश्चात चयनित विकल्प में परिवर्तन करने का अग्रतर अवसर उपलब्ध नहीं होगा। औद्योगिक उपक्रम द्वारा निम्नलिखित 03 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जा सकता है—

8.2.1 विकल्प 1: पूंजीगत उपादान—

- इस विकल्प के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रम तालिका-3 के अनुसार पूंजीगत उपादान का लाभ उठा सकते हैं। पूंजीगत उपादान निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्रदान की जाएगी—

वार्षिक पूंजीगत उपादान=(बेस कैपिटल उपादान×ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (GCM)÷ अनुमन्य प्रोत्साहन संवितरण अवधि।

तालिका-3 : पूंजीगत उपादान एवं वार्षिक सीमा (ईसीआई = पात्र पूंजी निवेश)				
जनपद क्षेत्र	वृहद	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई का कुल 10 प्रतिशत 10 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 18 प्रतिशत 12 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 15 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 20 वार्षिक किस्तों में
मध्यांचल व पश्चिम (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	ईसीआई का कुल 12 प्रतिशत 10 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 20 प्रतिशत 12 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 15 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 20 वार्षिक किस्तों में
बुंदेलखंड व पूर्वांचल	ईसीआई का कुल 15 प्रतिशत 10 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 22 प्रतिशत 12 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 25 प्रतिशत 15 वार्षिक किस्तों में	ईसीआई का कुल 30 प्रतिशत 20 वार्षिक किस्तों में
वार्षिक सीमा	रु. 5 करोड़	रु. 10 करोड़	रु. 50 करोड़	रु.150 करोड़
बूस्टर के साथ वार्षिक सीमा	लागू नहीं	रु. 15 करोड़	रु. 75 करोड़	रु. 210 करोड़

विशेष वित्तीय उपादान— इस नीति अवधि में प्रथम 05 ग्रीन हाईड्रोजन/ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं हेतु (मेरठ मण्डल को छोड़कर) सुपर मेगा एवं अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं की श्रेणी में वित्तीय प्रोत्साहन ईसीआई का 35 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुमन्य होगा। इसके अन्तर्गत परियोजनाओं की वार्षिक सीलिंग सीमा रु. 100 करोड़ एवं रु. 200 करोड़ होगी एवं बूस्टर सहित रु. 125 करोड़ एवं रु. 225 करोड़ होगी, अनुमन्य होगा।

ii- **ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (Gross Capacity Utilization Multiple & GCM):** इस नीति में ग्रॉस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मल्टीपल (GCM) को लागू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस नीति के लाभार्थियों द्वारा स्थापित उत्पादन क्षमता का इष्टतम (Optimum) उपयोग किया जा सके।

GCM को प्रथम वर्ष के लिए 1 माना जाएगा, बशर्ते इकाई, अपनी स्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत उपयोग कर ले। अनुवर्ती वर्षों हेतु GCM को 1 माना जाएगा, बशर्ते उस वर्ष में इकाई अपनी स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपयोग कर ले।

यदि क्षमता उपयोग, स्थापित क्षमता के 75 प्रतिशत से कम है, तो नीचे दिए गए फॉर्मूले के अनुसार GCM को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा—

$$GCM = \text{Minimum of } (75\%, \text{ विचाराधीन वर्ष का अधिकतम क्षमता उपयोग }) \div 75 \text{ प्रतिशत}$$

- (क) GCM की अधिकतम value '1' होगी।
- (ख) यदि क्षमता उपयोग स्थापित क्षमता के 10 प्रतिशत से कम अथवा उसके बराबर है, तो GCM शून्य होगा।
- (ग) चरणबद्ध निवेश के प्रकरण में, प्रत्येक चरण के बाद प्रथम वर्ष के GCM को, किए गए अतिरिक्त निवेश हेतु 1 माना जाएगा, यदि क्षमता उपयोग उस चरण में स्थापित अतिरिक्त क्षमता का न्यूनतम 40 प्रतिशत है। अनुवर्ती वर्षों में, यदि इकाई का कुल क्षमता उपयोग, कुल स्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत है तो GCM 1 होगा तथा यदि इससे कम है, तो GCM आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।
- (घ) विस्तारीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, विद्यमान इकाई की स्थापित क्षमता वह होगी, जो उस वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में थी, जिसमें विस्तारीकरण परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ है। GCM की गणना अतिरिक्त निवेश के कारण स्थापित क्षमता के फलस्वरूप प्राप्त वृद्धिशील क्षमता उपयोग (Incremental Capacity Utilization) के आधार पर की जाएगी।
- (ङ) विविधीकरण श्रेणी की परियोजनाओं के प्रकरण में, GCM की गणना, अतिरिक्त निवेश के माध्यम से नए उत्पाद/उत्पादों हेतु स्थापित अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के आधार पर की जाएगी।
- (च) किसी वर्ष विशेष में 1 से कम GCM के कारण पूंजीगत उपादान में हुई घटोत्तरी को आगामी वर्षों हेतु विचारित नहीं किया जाएगा।

नोट: GCM की गणना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश नीति की प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें पृथक से अधिसूचित किया जाएगा।

iii. तालिका-3 में उल्लिखित बूस्टर के साथ वार्षिक सीमा के अधीन, मेगा एवं उससे उच्च की श्रेणी की परियोजनाएं अतिरिक्त पूंजीगत उपादान का लाभ निम्नलिखित सूत्र के अनुसार प्राप्त कर सकती हैं—

वार्षिक पूंजीगत उपादान = $\{[(\text{बेस कैपिटल उपादान} + \text{रोजगार बूस्टर} + \text{निर्यात बूस्टर} + \text{पारिस्थिकी तंत्र बूस्टर}) \times \text{जीसीएम}]\} \div \text{अनुमन्य प्रोत्साहन संवितरण अवधि}$ ।

- iv. **रोजगार बूस्टर**—मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं तालिका-3 के अनुसार न्यूनतम रोजगार उपलब्ध कराने पर निम्नलिखित रोजगार बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए औसत वार्षिक रोजगार (कर्मचारी भविष्य निधि से आच्छादित) को आधार मानते हुए वार्षिक रोजगार बूस्टर के प्रतिशत की गणना की जाएगी।
- (क) प्रश्नगत परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार नियोजित करने अथवा प्रश्नगत परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के 75 प्रतिशत महिला कर्मियों को नियोजित करने पर—ईसीआई के 02 प्रतिशत का रोजगार बूस्टर।
- (ख) प्रश्नगत परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के दोगुने से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार के दोगुने के 75 प्रतिशत महिला कर्मियों को नियोजित करने पर—ईसीआई के 03 प्रतिशत का रोजगार बूस्टर।
- (ग) प्रश्नगत परियोजना श्रेणी हेतु विचारित वर्ष में न्यूनतम रोजगार के तीन गुना से अधिक नियोजित करने अथवा न्यूनतम रोजगार के तीन गुना के 75 प्रतिशत महिला कर्मियों को नियोजित करने पर—ईसीआई के 04 प्रतिशत का रोजगार बूस्टर।

तालिका-4: परियोजना श्रेणीवार न्यूनतम रोजगार संख्या	
श्रेणी	रोजगार
मेगा	300
सुपर मेगा	600
अल्ट्रा मेगा	1500

- v. **निर्यात बूस्टर**— मेगा व उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाएं, निर्यात बूस्टर का लाभ उठा सकती हैं, जिसका निर्धारण किसी वर्ष विशेष में निर्यात हेतु किए गए उत्पादन एवं उसी वर्ष के कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में निम्नानुसार किया जाएगा—
- (क) विचाराधीन वर्ष में अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 50 प्रतिशत से कम निर्यात— ईसीआई के 2 प्रतिशत का निर्यात बूस्टर।
- (ख) विचाराधीन वर्ष में अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 75 प्रतिशत से कम निर्यात—ईसीआई के 3 प्रतिशत का निर्यात बूस्टर।
- (ग) विचाराधीन वर्ष में अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक निर्यात—ईसीआई के 4 प्रतिशत का निर्यात बूस्टर।
- vi. **पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर (Ecosystem Booster)**— यदि कोई मेगा अथवा उससे उच्चतर श्रेणी की परियोजना, अपने उत्पाद के विनिर्माण हेतु उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विद्यमान अथवा नई विनिर्माण इकाई से इनपुट अथवा कच्चा माल प्राप्त करती है, तो उसको निम्नानुसार पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर प्रदान किया जाएगा—

- (क) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर—ईसीआई के 02 प्रतिशत का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर।
- (ख) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक, किन्तु 75 प्रतिशत से कम प्राप्त करने पर—ईसीआई के 03 प्रतिशत का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर।
- (ग) अपनी आवश्यकतानुसार कच्चे माल/इनपुट के 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिकको प्राप्त करने पर ईसीआई के 04 प्रतिशत का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर।

8.2.2 विकल्प-2 : शुद्ध राज्य माल एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति (Net SGST Reimbursement)

- I- किसी वित्तीय वर्ष विशेष में राजकोष में जमा किए गए शुद्ध एसजीएसटी की राशि से अधिक नहीं होने की शर्त के अधीन जमा शुद्ध एसजीएसटी राशि के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति तालिका- 5 के अनुसार की जाएगी –

तालिका-5 शुद्ध एसजीएटी प्रतिपूर्ति					
विवरण		वृहद	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
शुद्ध एसजीएटी प्रतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का वार्षिक प्रतिशत प्रतिपूर्ति की अवधि (वर्षों में)		100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत
		6	12	14	16
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	16 प्रतिशत	7 प्रतिशत	6 प्रतिशत	5 प्रतिशत
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	80 प्रतिशत	80 प्रतिशत	80 प्रतिशत	80 प्रतिशत
मध्यांचल व पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	18 प्रतिशत	17 प्रतिशत	14 प्रतिशत	13 प्रतिशत
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	90 प्रतिशत	200 प्रतिशत	200 प्रतिशत	200 प्रतिशत
बुंदेलखंड व पूर्वांचल	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में प्रतिशत सीमा	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत	21 प्रतिशत	19 प्रतिशत
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	100 प्रतिशत	300 प्रतिशत	300 प्रतिशत	300 प्रतिशत

II- विस्तारीकरण/विविधीकरण परियोजनाओं के प्रकरण में, केवल वृद्धिशील निवेश ही प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। प्रतिपूर्ति के लिए पात्र शुद्ध एसजीएसटी का मूल्यांकन Incremental Turnover के आधार पर किया जाएगा। Incremental Turnover का अभिप्राय, विस्तारीकरण के उपरांत वर्तमान टर्नओवर तथा बेस टर्नओवर के अंतर से है। बेस टर्नओवर का अभिप्राय इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि जिस वित्तीय वर्ष में हो, उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती 05 वर्षों में (अथवा 05 वर्षों से कम, यदि इकाई 05 वर्ष से कम अवधि में कार्यरत रही है) जिस वर्ष में अधिकतम टर्नओवर प्राप्त किया गया हो, एवं यदि चरणबद्ध रूप में परियोजना क्रियान्वित की जा रही हो, तो प्रथम चरण के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के पूर्ववर्ती 05 वर्षों में जिस वर्ष में अधिकतम टर्नओवर प्राप्त किया गया हो।

8.2.3 विकल्प-3 : भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनों पर टॉप-अप-

- I. भारत सरकार की किसी भी पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएलआई प्रोत्साहनों का 30 प्रतिशत (जब एवं जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा संवितरित किया जाता है) संवितरित किया जाएगा।
- II- प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों की सीमा, ईसीआई (ECI) के 100 प्रतिशत तक सीमित होगी।
- III- प्रदेश सरकार द्वारा इस विकल्प के अन्तर्गत भारत सरकार की पीएलआई योजना के अतिरिक्त अन्य ऐसी योजनाओं को मा. मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त सम्मिलित किया जा सकता है।

9. भूमि की उपलब्धता एवं प्रोत्साहन-

राज्य सरकार द्वारा विकासकर्ताओं को जमीन उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा एवं सरकारी भूमि उपलब्ध होने की दशा में, ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया परियोजनाओं में उत्पादन, खपत, भंडारण, परिवहन एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों हेतु भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि सम्बन्धी निम्नवत प्रोत्साहन लाभ उपलब्ध होंगे:-

- (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के संयुक्त प्रतिष्ठानों को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु ग्राम समाज/सरकारी भूमि पट्टे (लीज) पर रु0 1/प्रति एकड़/प्रतिवर्ष की दर से लीज पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। यह भूमि अहस्तान्तरणीय होगी। यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात् कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।
- (ii) निजी निवेशकों को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना के लिए ग्राम समाज/सरकारी भूमि रु0 15000/एकड़/वर्ष की दर से पट्टे पर 30 वर्ष की समयावधि हेतु उपलब्ध होगी। यदि आवंटन होने के 03 वर्ष की समयावधि में भूमि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु उपयोग में नहीं लायी जाती है अर्थात् कार्य प्रारम्भ नहीं होता है तो भूमि अनिवार्य रूप से वापस ले ली जायेगी।
- (iii) परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि निर्धारित समय में कृषि से गैर कृषि हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन एवं कृषि भूमि की सीलिंग के अंतर्गत अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तो ऐसी दशा में डीमड अनुमति प्राप्त होगी।
- (iv) परियोजनाओं हेतु भूमि की कृय अथवा लीज पर प्राप्त भूमि के प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।
- (v) परियोजना विकासकर्ताओं को ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना हेतु प्रयुक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने हेतु वर्तमान में भूमि क्षेत्रफल अधिकतम 5 एकड़ प्रति मेगावाट के अनुरूप अधिकतम 20 मेगावाट प्रति किलोटन प्रतिवर्ष संयंत्र क्षमता के अनुरूप भूमि की आवश्यकता हेतु सुविधायें अनुमन्य होगी, परन्तु भविष्य में तकनीकी विकास के साथ भूमि का प्रति मेगावाट क्षेत्रफल आवश्यकता कम होने की दशा में, तदनुसार भूमि हेतु सुविधायें अनुमन्य होगी।

10. जल की उपलब्धता-

उ0प्र0 सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाओं के निकट उपलब्ध जल स्रोतों के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को उनकी आंकलित जल मात्रा के अनुरूप जल का आवंटन किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा परियोजना हेतु वांछित जल राशि का आंकलन कर सम्बन्धित विभाग को पानी के

उपभोग का आँकलित विवरण सूचित किया जायेगा। परियोजनाओं हेतु जलस्रोत से परियोजना स्थल तक जल एवं जलापूर्ति अधोसंरचना निर्माण लागत विकासकर्ता द्वारा वहन की जायेगी।

11. संचालन संबंधी प्रोत्साहन—

ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में ऊर्जा एवं संचालन लागत महत्वपूर्ण है। इन परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा देय प्रोत्साहन लागू होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया परियोजनाओं की संचालन लागत कम करने एवं उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से इस नीति में निम्नानुसार प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जायेगे :-

11.1. ऊर्जा संग्रह (बैंकिंग):-

राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया के उत्पादन हेतु प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा संग्रह की सुविधा उपलब्ध होगी। ऊर्जा संग्रह की अनुमति मासिक चक्र (Monthly Cycle) के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों एवं विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य आपसी सहमति के अनुरूप प्रदान की जायेगी। ऊर्जा संग्रह की सुविधा पॉलिसी अवधि के दौरान परिचालित परियोजनाओं हेतु 25 वर्ष अवधि अथवा परियोजना का जीवनकाल जो भी पहले होगा, ऐसी परियोजनायें ऊर्जा संग्रह और निपटान (Settlement) हेतु अनुमन्य होंगी। निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन ऊर्जा संग्रह की अनुमति दी जाएगी :-

- क) विशिष्ट माह में संग्रहीत ऊर्जा (Banked Energy) को आगामी माहों में आहरण (Withdrawal) की अनुमति नहीं दी जाएगी, अपितु उसी माह के दौरान निपटान (Settlement) किया जाना होगा।
- ख) बैंकिंग चक्र (मासिक) के अंत में अप्रयुक्त अधिशेष संग्रहीत ऊर्जा (Banked Energy) को व्यपगत (Lapse) माना जाएगा तथा इसका निपटान यूपीईआरसी-सीआरई विनियम 2019 एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों में उल्लिखित पद्धति (Methodology) के अनुरूप होगा।
- ग) निम्नलिखित अवधियों के दौरान बैंक की गई ऊर्जा को केवल उसी समयावधि में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जाएगी तथा इस अवधि में संग्रहीत अप्रयुक्त ऊर्जा का निपटान यूपीईआरसी-सीआरई विनियम 2019 एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों में उल्लिखित पद्धति (Methodology) के अनुरूप होगा।
 - i. 23:00 बजे से 05:00 बजे की समयावधि में संग्रहीत ऊर्जा को केवल उसी समयावधि में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जाएगी और अप्रयुक्त ऊर्जा का निपटान यूपीईआरसी-सीआरई विनियम 2019 एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों में उल्लिखित पद्धति (Methodology) के अनुरूप होगा।
 - ii. 05:00 बजे से 11:00 बजे की समयावधि में संग्रहीत ऊर्जा को केवल उसी समयावधि में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जाएगी और अप्रयुक्त ऊर्जा का निपटान यूपीईआरसी-सीआरई विनियम 2019 एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों में उल्लिखित पद्धति (Methodology) के अनुरूप होगा।
 - iii. 11:00 बजे से 17:00 बजे की समयावधि में संग्रहीत ऊर्जा को केवल उसी समयावधि में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जाएगी और अप्रयुक्त ऊर्जा का निपटान यूपीईआरसी-सीआरई विनियम 2019 एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों में उल्लिखित पद्धति (Methodology) के अनुरूप होगा।
 - iv. 17:00 बजे से 23:00 बजे की समयावधि में संग्रहीत ऊर्जा को केवल उसी समयावधि में प्रयोग किये जाने की अनुमति दी जाएगी और अप्रयुक्त ऊर्जा का निपटान यूपीईआरसी-सीआरई विनियम 2019 एवं समय-समय पर किये गये संशोधनों में उल्लिखित पद्धति (Methodology) के अनुरूप होगा।

11.2. ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया परियोजनाओं की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन लाभ परियोजनाओं के वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ होने के पश्चात 10 वर्षों या परियोजना का उपयोगी जीवनकाल, जो भी कम हो, के लिए अनुमन्य होंगे :-

- i. राज्यांतरिक (इन्ट्रास्टेट) नवीकरणीय ऊर्जा का तृतीय पक्ष को विक्रय अथवा कैप्टिव उपयोग पर व्हीलिंग/ट्रान्समिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट होगी।

- ii. नवीकरणीय ऊर्जा के क्रय पर राज्यांतरिक (इन्ट्रास्टेट) ट्रांसमिशन तंत्र के लिये क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज एवं व्हीलिंग/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत छूट।
 - iii. राज्यांतरित (इन्टरस्टेट) व्हीलिंग/ट्रांसमिशन शुल्क में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग/भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप छूट अनुमन्य होगी।
- 11.3 ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादित इकाईयों में उपयोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 10 वर्षों तक की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट की अनुमति प्रदान की जायेगी।
 - 11.4 विकासकर्ताओं द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन हेतु अन्य राज्यों एवं उ0प्र0 में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से ओपन एक्सेस के अन्तर्गत आंशिक ऊर्जा खपत एवं डिस्कॉम द्वारा आंशिक ऊर्जा खपत करने की दशा में डिस्कॉम से उपभोग की गई ऊर्जा हेतु डिमान्ड चार्ज, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग केसीआरई रेगुलेशन-2019 एवं समय-समय पर संशोधित, के अनुरूप देय होंगे।
 - 11.5 ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु उत्पादित विद्युत को 100 प्रतिशत कैप्टिव उपयोगार्थ अनुमन्य किया जायेगा एवं विद्युत निकासी हेतु पारेषण संयंत्रों का प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
 - 11.6 ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में प्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा को खपत करने वाली इकाई को रिन्यूवल पावर आब्लिगेशन (आरपीओ) अनुपालन हेतु गणना में लिया जायेगा तथा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक द्वारा आरपीओ अनुपालन से अधिक उपयोग की गई ऊर्जा, डिस्कॉम का आरपीओ अनुपालन की गणना हेतु आंकलित किया जायेगा।
 - 11.7 ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया परियोजनाओं पर स्थानीय डिस्कॉम से विद्युत प्राप्त करने पर औद्योगिक टैरिफ लागू होगा।

12. भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन—

इस नीति में प्राविधानित प्रोत्साहन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा समय-समय पर ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं पर उपलब्ध कराये जा रहें प्रोत्साहन भी परियोजना विकासकर्ताओं को अनुमन्य होंगे।

- 12.1. समस्त ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति हेतु व्हाइट कैटेगरी स्टेटस दिया जायेगा।
- 12.2. ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण नियंत्रण नियम के तहत स्थापना और संचालन की सहमति/एनओसी प्राप्त करने में छूट होगी।

13. वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था :—

नीति के प्रस्तर-8 में यथा परिभाषित औद्योगिक उपक्रमों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति तथा संवितरण हेतु कार्यान्वयन व्यवस्था निम्नवत होगी :—

- 13.1 औद्योगिक उपक्रमों को प्रदान किये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं संवितरण हेतु निवेश प्रोत्साहन संस्था यूपीनेडा नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी।
- 13.2 आवेदनों की संचालन प्रक्रिया (Processing) तथा सिंगल विडों संचालन के प्रबन्ध में सहायता हेतु यूपीनेडा में नामित नोडल अधिकारी के नेतृत्व में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्थापित की जाएगी।

13.3 आवेदनों के मूल्यांकन के लिए निदेशक, यूपीनेडा के स्तर पर मूल्यांकन समिति को गठन किया जायेगा।

13.4 सम्बन्धित प्राधिकृत समितियां किसी भी आवेदक द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ करने से पूर्व अनुरोध किये गये चरणों की संख्या एवं उनकी अवधि कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन समान श्रेणी के

भीतर पूंजी निवेश में परिवर्तन तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि आदि में नीति के अन्तर्गत एवं कालान्तर में निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार परिवर्तन को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगी।

14. प्राधिकृत समिति एवं उत्तरदायित्व—

उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया नीति 2024 की समस्त गतिविधियों के संचालन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु उ0प्र0 सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति का गठन किया जायेगा। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, समिति में निम्नलिखित सदस्य नामित होंगे:—

- | | |
|---|--------------|
| 1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग | — अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव | — सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव | — सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव | — सदस्य |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव | — सदस्य |
| 6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव | — सदस्य |
| 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव | — सदस्य |
| 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट उ0प्र0 अथवा मनोनीत प्रतिनिधि न्यूनतम स्तर विशेष सचिव | — सदस्य |
| 9. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पॉवर कार्पोरेशन लि0, | — सदस्य |
| 10. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 विद्युत पारेषण निगम लि0, | — सदस्य |
| 11. राज्य/केन्द्र सरकार के विषय वस्तु विशेषज्ञ, यूपीनेडा द्वारा नामित | — सदस्य |
| 12. निदेशक यूपीनेडा | — सदस्य सचिव |

प्राधिकृत समिति ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यो हेतु उत्तरदायी होगी:—

1. प्राधिकृत समिति वृहद् श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु मा. मंत्री ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश के समक्ष संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
2. विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं के साथ समन्वय को सुगम बनाना।
3. इस नीति के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करना और नीति में आवश्यकतानुसार संशोधन कर शासन को अग्रसारित करना।
4. नीति में नये प्रावधान, दिशा निर्देश निर्गत करने का कार्य।
5. कार्य प्रगति की समीक्षा करना एवं लक्ष्यों का पुनः आँकलन कर अध्यावधिक करना।

15. उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं दायित्व :-

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया जायेगा।

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग | — | सदस्य |
| 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, | — | सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, | — | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूगर्भ जल विभाग, | — | सदस्य |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, | — | सदस्य |
| 6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, | — | सदस्य |
| 7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, | — | सदस्य |
| 8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट उ0प्र0 | — | सदस्य |
| 9. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, | — | सदस्य |
| 10. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 विद्युत पारेषण निगम लि0, | — | सदस्य |
| 11. राज्य/केन्द्र सरकार के विषय वस्तु विशेषज्ञ, यूपीनेडा द्वारा नामित | — | सदस्य |
| 12. निदेशक यूपीनेडा | — | सदस्य सचिव |

उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति मेगा एवं उच्चतर श्रेणी के आवेदनों की स्वीकृति व संवितरण के अनुमोदन हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। यह समिति, नीति के अन्तर्गत किसी प्रकार की स्पष्टता अथवा व्याख्या प्रदान करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु अधिकृत होगी।

16. जिला स्तरीय समिति एवं उत्तरदायित्व:-

जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु समन्वय स्थापित कर भूमि एवं जलस्रोत का चिन्हांकन एवं परियोजनाओं की स्थापना हेतु नियामक सुविधायें प्रदान करेगी।

नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित सदस्य नामित होंगे :-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. जिलाधिकारी | — | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी | — | सदस्य |
| 3. अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग | — | सदस्य |
| 4. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र | — | सदस्य |
| 5. अधिशाषी अभियन्ता डिस्कॉम | — | सदस्य |
| 6. अधिशाषी अभियन्ता उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0 | — | सदस्य |
| 7. परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना यूपीनेडा | — | सदस्य सचिव |

उक्त समिति में स्थानीय आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी को सहयुक्त किया जा सकेगा एवं सभी निवेशकों को अनिवार्य रूप से बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

17. नीति में संशोधन एवं रोजगार सृजन :-

इस नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु यथा आवश्यक संशोधन के लिए उ0प्र0 सरकार को अधिकृत किया जाता है। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होना संभावित हैं।

1. **ऊर्जा बैंकिंग**— वह प्रक्रिया जिसके तहत एक ऊर्जा उत्पादक ग्रिड को बिजली की आपूर्ति किसी तीसरे पक्ष या उपभोक्ता को ऊर्जा विक्रय के उद्देश्य से नहीं करता है, बल्कि इसे नियमों एवं शर्तों के अनुरूप अपने स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पादक द्वारा ग्रिड से बिजली प्राप्त की जा सकती है।
2. **ऊर्जा संक्रमण**—ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में, इसका अर्थ है गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय स्रोतों में ऊर्जा रूपांतरण।
3. **नेट जीरो**— नेट जीरो का अर्थ है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को यथा संभव शून्य के करीब लाना तथा वायुमण्डल में उत्सर्जित किसी भी शेष उत्सर्जन को महासागरों और जंगलों द्वारा फिर से अवशोषित करना।
4. **ग्रीन हाइड्रोजन**— नवीकरणीय ऊर्जा या बैंक की गई नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। बायोमास आधारित हाइड्रोजन, जो बायोगैस या अन्य बायोमास उत्पादों के पायरोलिसिस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, को भी ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अथवा भारत सरकार द्वारा परिभाषित।
5. **ग्रीन अमोनिया**— यह ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का व्युत्पन्न है, जहां प्रक्रिया पूरी तरह से कार्बन मुक्त नवीकरणीय ऊर्जा आधारित होती है।
6. **ग्रे हाइड्रोजन**— प्राकृतिक गैस या मीथेन से स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन या ऑटो-थर्मल रिफॉर्मेशन का उपयोग कर उत्पादित हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन कहलाती है : इस प्रक्रिया में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों को कैप्चर नहीं किया जाता है।
7. **हाइड्रोजन घाटी**— हाइड्रोजन घाटी एक शहर, एक द्वीप, या एक औद्योगिक क्लस्टर या एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ कई हाइड्रोजन उपभोग आधारित उद्योगों को एकीकृत हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में इस तरह जोड़ा जाता है, जिससे परियोजनायें आर्थिक रूप से साध्य हो सकें।

(स्रोत: भारत सरकार नीति दिनांक 17.02.2022 एवं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अभिलेख जनवरी 2023)